रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2015/माघ 7, 1936
No. 28] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2015/MAGHA 7, 1936

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015

(पेंशन सलाहकार समिति की बैठकें) विनियम, 2015

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 45 और धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ब) के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन सलाहकार समिति की बैठकें) विनियम, 2015 है ।

विनियमों का उद्देश्य कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के तहत कार्यसम्पादन के लिए पेंशन सलाहकार समिति की बैठकों की प्रक्रिया का मानकीकरण करना है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;

(ख) "पदाभिहित अधिकारी" से प्राधिकरण का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उसके द्वारा पेंशन सलाहकार समिति की बैठकों की सूचना जारी करने, कार्यसूची का परिचालन, अभिलेखन, बैठकों के कार्यवृत्त का परिचालन और सुरक्षित रखरखाव के कर्तव्य और दायित्व से प्रभारित किया है ;

(ग) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा यथास्थापित पेंशन सलाहकार समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पदेन सदस्य (अर्थात् प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य) भी हैं ;

(घ) "पेंशन सलाहकार समिति" से अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा स्थापित पेंशन सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(ड.) पेंशन सलाहकार समिति के संबंध में "कुल सदस्य संख्या" से किसी दिए गए समय पर विद्यमान सदस्यों की कुल संख्या अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

2. **पेंशन सलाहकार समिति की स्थापना.**—(1) प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, पेशन सलाहकार समिति के रूप में ज्ञात एक समिति स्थापित कर सकेगी ।

(2) पेंशन सलाहकार समिति, पेंशन अनुसंधान में लगे कर्मचारियों, संगमों, अभिदाताओं, वाणिज्य और उद्योग, मध्यवर्तियों और संगठनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पचीस से अनधिक सदस्यों, पदेन सदस्यों को छोड़कर, से मिलकर बनेगी ।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, पेंशन सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे ।

(4) पेंशन सलाहकार समिति के उद्देश्य, अधिनियम की धारा 52 के अधीन विनियम बनाने संबंधी विषयों पर प्राधिकरण को सलाह देना होगा ।

(5) उपनियम (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पेंशन सलाहकार समिति, प्राधिकरण को ऐसे विषयों पर सलाह दे सकेगी जो उसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे विषयों पर भी सलाह दे सकेगी जो पेंशन सलाहकार समिति ठीक समझे ।

4. **पेंशन सलाहकार समिति की बैठकों के लिए प्रक्रिया.**—(1) पेंशन सलाहकार समिति इन विनियमों में यथा उपबंधित कामकाज को शीघ्रता से निपटाने के लिए बैठक कर सकेगी, अपनी बैंठकों को स्थगित और इससे अन्यथा अपनी बैठकों को विनियमित कर सकेगी ।

(2) पेंशन सलाहकार समिति विनियम 3 के उपविनियम (4) और उपविनियम (5) में निर्दिष्ट विषयों पर प्राधिकरण को सलाह देने के लिए ऐसे समय पर, जो आवश्यक समझा जाए किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी ।

(3) पेंशन सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर की जाएगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(4) बैठक के दौरान दूरस्थ सहभागिता वीडियो कांफ्रेसिंग या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्रत्रिया प्रक्रिया का उपयोग करके की जा सकेगी । उन सदस्यों को, जो दूरस्थ रूप से बैठक में भाग ले रहे हैं, गणपूर्ति या बहुमत स्थापित करने के लिए गणना में लिया जाएगा । दूरस्थ सहभागिता की दशा में, उपस्थित अभिलेखों में अभिहित पदाभिहित अधिकारी द्वारा "दूरस्थ सहभागिता" लिखा जाएगा ।

(5) कार्य पर ध्यान देने की सुविधा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, पेंशन सलाहकार समिति की सहमति से, सदस्यों की एक उपसमिति भी गठित कर सकेगा, उस संबंध में जिनका विनिश्चय पेंशन सलाहकार समिति के लिए उपलब्ध होगा । अध्यक्ष, इस प्रकार गठित उपसमिति के एक सदस्य को संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(6) पदाभिहित अधिकारी द्वारा बैठक की सूचना और कार्यसूची सामान्यतया सात दिन पहले परिचालित की जाएगी । सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सूचना और कार्यसूची रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या कुरियर सेवा द्वारा दी या परिदत्त की जा सकेगी या किसी अन्य माध्यम से और संचार के ऐसे विश्वसनीय इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मान्यताप्राप्त है, पारेषित की जा सकेगी:

परंतु अध्यक्ष, कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना देकर सलाहकार समिति की आपातकालीन बैठक बुला सकेगा ।

(7) पेंशन सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी । यदि किसी कारण से अध्यक्ष पेंशन सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य पदेन सदस्य, जो प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य है, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

इसी प्रकार उपसमिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंधित उपसमिति के पदाभिहित अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और यदि किसी कारण से पदाभिहित अध्यक्ष, उपसमिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया उपसमिति का कोई अन्य सदस्य, उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(8) किसी विषय पर, जिसे पेंशन सलाहकार समिति की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, विचार किया जा सकेगा यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष द्वारा या पीठासीन सदस्य द्वारा ऐसा अनुमोदित किया जाता है ।

5. **पदावधि.—** (1) पेंशन सलाहकार समिति के सदस्यों की पदावधि, प्राधिकरण द्वारा उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी ।

(2) सभी पदावरोही सदस्य, पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे, परंतु ऐसा कोई सदस्य, जिसने दो क्रमवर्ती अवधियों तक पद धारण किया है, वह केवल उस तारीख से, जिसको वह पेंशन सलाहकार समिति का सदस्य नहीं रहता है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही पुनःनामनिर्देशन का पात्र होगा ।

(3) उपविनियम (1) और उपविनियम (2) पेंशन सलाहकार समिति के पदेन सदस्यों को और पेंशन सलाहकार समिति में अपने शासकीय पदनाम के आधार पर नियुक्त सदस्यों को लागू नहीं होगा ।

6. **गणपूर्ति.—**(1) पेंशन सलाहकार समिति या उपसमिति की बैठक के कार्य संचालन के लिए गणपूर्ति कुल संख्या न्यूनतम की एक-तिहाई होगी :

परंतु अंशभाग पर, जो कुल एक-तिहाई संख्या की संगणना करने में उद्भूत होता है, ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(2) यदि किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य बैठक प्रारंभ होने के निश्चित समय से तीस मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात् बैठक को, उसी दिन कुछ घंटे के लिए या किसी अन्य दिन के लिए, जो वह ठीक समझे, स्थगित कर देगा । जहां बैठक स्थगित करने पर भी अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति का गठन किया जाएगा और कार्रवाई अग्रसर की जाएगी ।

(3) किसी सदस्य को पेंशन सलाहकार समित या उपसमिति की सभी बैठकों में भाग लेना होगा सिवाए वहां के, जहां अनुपस्थित रहने की इजाजत की ईप्सा की गई है और अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य द्वारा उसे दे दिया गया है ।

(4) जहां कोई सदस्य, बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के पेंशन सलाहकार समिति की तीन क्रमवर्ती बैठक में भाग नहीं लेता है वहां प्राधिकरण, उसके नाम को पेंशन सलाहकार समिति से हटाने पर विचार कर सकेगा और पारिणामिक रिक्ति को ऐसे भर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे ।

IndiaCode

7. **बैठकों का कार्यवृत्त.—** (1) अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य, ऐसे प्रारूप और रीति में, जो उसके द्वारा समुचित समझी जाएगी, पेंशन सलाहकार समिति या उपसमिति की बैठकों की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त अभिलिखित करवाएगा ।

(2) कार्यवृत्त में, बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम भी अंतर्विष्ट होंगे ।

(3) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त में, बैठक में हुए विनिश्चय या विनिश्चयों का ऋजु और सही संक्षिप्त विवरण अंतर्विष्ट होगा ।

(4) अभिहित अधिकारी, डिजिटल रूप से या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक साधन द्वारा ऐसे कार्यवृत्त की प्रति, जिसे, यथास्थिति, अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य द्वारा अंतिम रूप दिया गया है या अनुमोदन किया गया है, प्रत्येक सदस्य को उसकी सूचना के लिए भेजी जाएगी ।

8. **प्रकीर्ण उपबंध.—**(1) पेंशन सलाहकार समिति का प्रत्येक सदस्य (पदेन सदस्य और सरकारी पदधारियों के छोड़कर), प्राधिकरण से पेंशन सलाहकार समिति या उपसमिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे मापमानों के अनुसार, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, खर्चों, बैठक फीस, आनुषंगिकों आदि की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को छोड़कर कोई सदस्य, पेंशन सलाहकार समिति या उपसमिति की बैठकों में लिए गए विनिश्चयों से संबंधित विषयों पर प्रेस या किसी अन्य सार्वजनिक मीडिया को जानकारी नहीं देगा ।

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/ असा./203/14/(271)]

IndiaCode

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2015

(Pension Advisory Committee Meetings) Regulations, 2015

No. PFRDA/12/RGL/139/1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof and section 45 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Advisory Committee Meetings) Regulations, 2015.

The aim of the regulations is to standardize the procedure for holding the meetings of the Pension Advisory Committee for transacting its business in effective discharge of its duties.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) "designated officer" means any officer of the Authority charged by it with the duty and responsibility of issuance of notice, circulation of agenda, recording, circulating and safe-keeping of the minutes of the meetings of the Pension Advisory Committee;

(c) "member" means a member of the Pension Advisory Committee as established by the Authority under sub-section (1) of section 45 of the Act and includes *ex officio* members (i.e., the Chairperson and members of the Authority);

(d) "Pension Advisory Committee" means the Pension Advisory Committee established by the Authority under sub-section (1) of section 45 of the Act;

(e) "total strength", in relation to the Pension Advisory Committee, means the total number of members existing at any given time.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Establishment of Pension Advisory Committee.—**(1) The Authority may, by notification, establish with effect from such date as it may specify in the notification, a Committee to be known as the Pension Advisory Committee.

(2) The Pension Advisory Committee shall consist of not more than twenty-five members, excluding *ex officio* members, to represent the interests of employees' associations, subscribers, commerce and industry, intermediaries, and organizations engaged in pension research.

(3) The Chairperson and the members of the Authority shall be the *ex officio* Chairperson and *ex officio* members of the Pension Advisory Committee.

(4) The objects of the Pension Advisory Committee shall be to advise the Authority on matters relating to the making of the regulations under section 52 of the Act.

(5) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (4), the Pension Advisory Committee may advise the Authority on such matters as may be referred to it by the Authority and also on such matters as the Pension Advisory Committee may deem fit.

4. **Procedure for meetings of Pension Advisory Committee.—**(1) The Pension Advisory Committee may meet for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as provided in these regulations.

(2) The Pension Advisory Committee may meet as often as may be considered necessary but not less than two times in a year, for advising the Authority on matters referred to in sub-regulations (4) and (5) of regulation 3.

(3) Every meeting of the Pension Advisory Committee shall be held at such place and time as may be decided by the Chairperson.

(4) Remote participation, during a meeting, may be carried out using videoconferencing or any other electronic procedure. Members who participate in a meeting remotely shall be counted in establishing a quorum or a majority. In the event of a remote participation, attendance records shall be annotated "remote participation" by the designated officer.

(5) For the purposes of convenience of attention to business, the Chairperson may with the consent of the Pension Advisory Committee also constitute sub-committee of members whose decision thereon will be available to the Pension Advisory Committee. The Chairperson will nominate one member of the sub-committee so constituted, as the Chairperson of the concerned sub-committee.

(6) The notice and agenda for the meeting shall normally be circulated seven days in advance by the designated officer. The notice and agenda may be delivered to the members personally upon acknowledgement or dispatched by registered post or courier service or transmitted through any other secure and reliable electronic means of communication, as may be recognised under any law for the time-being in force:

Provided that the Chairperson may convene an emergency meeting of the Advisory Committee by giving at least forty-eight hours' notice.

(7) Every meeting of the Pension Advisory Committee shall be presided over by the Chairperson. If for any reason, the Chairperson is unable to attend a meeting of the Pension Advisory Committee, any other *ex officio* member, being a whole-time member of the Authority chosen by the members present shall preside at the meeting.

Similarly, every meeting of the sub-committees shall be presided over by the designated Chairperson of the concerned sub-committee and if for any reason, the designated Chairperson is unable to attend the meeting of

the sub-committee, any other member of the sub-committee chosen by the members present shall preside over the meeting of the sub-committee.

(8) Any item not included in the agenda of the Pension Advisory Committee may be taken up for consideration, if so approved by the Chairperson, or by the presiding member, as the case may be.

5. **Term of office.—**(1) The term of office of members of the Pension Advisory Committee shall be for a period of three years from the date of their nomination by the Authority.

(2) All out-going members may be eligible for re-nomination, provided that any member who has held two consecutive terms of office shall be eligible for re-nomination only after the expiry of a period of two years from the date he ceases to be member of the Pension Advisory Committee.

(3) The sub-regulations (1) and (2) shall not be applicable to *ex officio* members of the Pension Advisory Committee and to members appointed to the Pension Advisory Committee by virtue of their official designation.

6. **Quorum.—**(1) The quorum for transaction of business at a meeting of the Pension Advisory Committee or sub-committee shall be a minimum of one-third of the total strength:

Provided that any fraction that might arise while calculating the one-third total strength be disregarded.

(2) If at any meeting, quorum is not present, the Chairperson or the presiding member, as the case may be, shall after waiting for thirty minutes from the scheduled commencement time of the meeting, adjourn the meeting for such hour on the same day or some other day as he may deem fit. Where at the adjourned meeting also the required quorum is not present, the members present shall constitute the quorum and proceed with the transaction of business.

(3) A member shall attend all the meetings of the Pension Advisory Committee or sub-committee, save where leave of absence has been sought and the same has been granted by the Chairperson or the presiding member.

(4) Where a member ceases to attend consecutively three meetings of the Pension Advisory Committee without just and sufficient cause, the Authority may consider exclusion of his name from the Pension Advisory Committee and fill in the resultant vacancy as it may consider necessary.

7. **Minutes of the meetings.—**(1) The Chairperson or the presiding member shall cause the minutes to be recorded of the proceedings at the meetings of the Pension Advisory Committee or sub-committee in such form and manner as may be considered appropriate by him.

(2) The minutes shall also contain the names of members present at the meeting.

(3) The minutes of each meeting shall contain a fair and correct summary of the decision or decisions arrived at the meeting.

(4) The designated officer shall send a copy of the minutes by digital or any other electronic means as finalised and approved by the Chairperson, or the presiding member, as the case may be, to each of the members for his or her information.

8. **Miscellaneous provisions.—**(1) Each member of the Pension Advisory Committee (except *ex officio* members and government officials) shall be entitled to re-imbursement of expenses, sitting fees, incidentals, etc. from the Authority for attending the meetings of the Pension Advisory Committee or sub-committee in accordance with such scales as may be specified by the Authority from time to time.

(2) No member, other than the Chairperson or a person specifically authorised by him shall give information to the Press or to any other public media on matters relating to the decisions taken at the meetings of the Advisory Committee or sub-committees.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./203/14(271)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.